ट्रांसफार्मर चोरी का खुलासा तीन अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी का सामान बरामद

समय न्यूज़ संवाददाता /एम एच आजाद

बलरामपुर। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने विद्युत ट्रांसफार्मरों से बिजली के उपकरण एवं तार चोरी करने की घटना का सफल अनावरण करते हुए तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी का विद्युत सामान बरामद किया है।

13 सितंबर 2026 को 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र बलरामपुर टाउन के अवर अभियंता अमित कुमार चौधरी पुत्र अनिरुद्ध चौधरी ने थाना कोतवाली देहात में तहरीर दी थी। तहरीर में बताया गया कि बलरामपुर टाउन क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर लगे विद्युत ट्रांसफार्मरों से अज्ञात चोर एलटी प्रोटेक्शन के लिए लगाए गए उपकरणों में लगी ब्रास रॉड, एलटी लीड वायर, एसीएसआर बीजल कंडक्टर और एलटी क्लैंप चोरी कर ले गए हैं। मामले में मु0अ0सं0 363/2026, धारा 303(2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस अधीक्षक बलरामपुर मार्तण्ड प्रकाश सिंह के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय और क्षेत्राधिकारी नगर अभिषेक सिंह के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात गिरजेश तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मामले की जांच शुरू की।

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सनोज यादव निवासी बड़ा धुसाह, मनोज कुमार निवासी काशीराम आवास माया होटल के पास तथा जयकिशन निवासी लखनीपुर फरेन्दा को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 150 मीटर एल्युमिनियम विद्युत कंडक्टर, 24 मीटर हरे रंग का एलटी लीड वायर, डेढ़ फीट लोहे की गाटर पटिया, सात एलटी क्लैंप, 11 एलटी स्टड रॉड मय इंसुलेटर, चार एलटी स्टड रॉड बोल्ट तथा एक छोटा और एक बड़ा इंसुलेटर बरामद किया है।

कबाड़ियों को बेचते थे

पूछताछ में अभियुक्तों ने पुलिस को बताया कि वे ट्रांसफार्मरों से एल्युमिनियम कंडक्टर, पाइप वाला तार, लोहे की गाटर पटिया, एलटी क्लैंप और अन्य सामान चोरी कर फेरी लगाने वाले कबाड़ियों को बेचते थे। पुलिस के अनुसार चोरी किए गए कुछ सामान को पहले ही बेचकर उसकी रकम आपस में बांट ली गई थी।

पहले भी दर्ज हैं केस,पुलिस के अनुसार सनोज यादव के विरुद्ध चोरी समेत विभिन्न धाराओं में तीन मुकदमे, मनोज कुमार के विरुद्ध एक मुकदमा तथा जयकिशन के विरुद्ध कोतवाली नगर और कोतवाली देहात में चोरी, लूट एवं माल बरामदगी से संबंधित कई मुकदमे दर्ज हैं।

गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों को आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक अमित चौहान, हेड कांस्टेबल दिलीप कुमार, कांस्टेबल संजय कुमार, सौरभ यादव, सेवाराम तथा एसओजी टीम के हेड कांस्टेबल शशांक शेखर यादव, कांस्टेबल प्रभात सिंह और कांस्टेबल विशाल द्विवेदी शामिल रहे।